नवोदय विद्यालय समिति,
क्षेत्रीय कार्यालय, ए-१३५ ए, अलकापुरी, गेट नं० ०२ भोपाल (म.प्र.)

दिनांकः-

प्रति,

....

....

....

विषय- निविदा फार्म..

1. नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय ए-१३५ ए अलकापुरी, गेट नं० ०२ भोपाल के निर्देशानुसर अधोहस्ताक्षरी व्दारा संलग्न प्रपत्र में दी गयी सामग्री की आपूर्ति हेतु सीलबंद निविदायें आंमत्रित की जाती है। निविदायें मजबूत सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर सामग्री का नाम लिखा हो, भेजी जानी चाहिये। निविदायें प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी नगर के कार्यालय में दिनांक २१.०५.२०१८ से १२.०६.२०१८ को अपरान्ह ४:०० बजे तक बेची जावेगी जिन्हें १२.०६.२०१८ अपरान्ह ५:०० बजें तक प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी नगर के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उक्त जमा निविदाएं दिनांक १३.०६.२०१८ को प्रातः ११:०० बजे तहसील कार्यालय जबलपुर में खोली जावेगी। निविदा खोलने के दिनांक में विशेष परिस्थितियों में बदलाव सम्भव है जिसकी सूचना दूरभाष पर प्राप्त कर सकते है।

2. यदि जमा की गई निविदा में अलग से शर्ते उल्लेखित नही की गयी है तो यह समझा जायेगा कि इस प्रपत्र में दी गयी कण्डिकाओं १ से १७ में उल्लेखित शर्तो से आप सहमत होगे तथा उन्ही के आधार पर निविदायें भरकर भेजी जानी चाहिये।

3. निविदायें भरते समय यह ध्यान रखें कि जो दरें आप भर रहे है, उसमें सामग्री की जवाहर नवोदय विद्यालय बरगीनगर तक आपूर्ति, विक्रय कर, वेट टेक्स, जी.एस.टी. या अन्य कोई कर जो सामग्री आपूर्ति से संबंधित हो, दरों में सम्मिलित होना चाहिये। विद्यालय तक सामान की आपूर्ति के लिये अलग से कोई भाड़ा आदि की अदायगी नवोदय विद्यालय समिति नहीं करेगी।

4. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार का सुधार या काट-छॉट कार्य आदि नही होना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो गलत अंको/शब्दों को काटकर संशोधित अंक/शब्द कटे हुये भाग के ऊपर लिखें एवं अपने हस्ताक्षर, तारीख से प्रमाणित करें। प्रमाणित हस्ताक्षर न होने पर आपकी निविदा निरस्त की जा सकती है फलूड/सफेदा लगी दरें मान्य नही होगी।

5. अधोहस्ताक्षरी सबसे कम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही है और सभी या आंशिक रूप से सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा को स्वीकार करने का अधोहस्ताक्षरी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। निविदा स्वीकार होने पर अधोहस्ताक्षरी एवं निविदाकर्ता के बीच ठेके की तरह एक सहमति मानी जावेगी तथा निविदाकर्ता शासकीय वित्त नियमों एवं निविदा की शर्तो से सामग्री की आपूर्ति हेतु बाध्य होगा।

6. निविदाकर्ता को अपने निविदा प्रपत्र के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा की पेशगी का ड्राफ्ट **''प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, बरगीनगर''** के नाम से बनवाकर जमा करना चाहिये। निविदाकर्ता को निविदा न मिलने पर पेशगी राशि को वापस किया जा सकता है। यदि निविदाकर्ता द्वारा शर्तो के आधार पर आपूर्ति पूरी नही की जाती है तो उसकी पेशगी राशि/अमानत राशि राजसात की जायेगी। निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार होने पर उसकी सहमति से पेशगी राशि को अमानत राशि में बदला जायेगा। जो कुल सामग्री की राशि का १० प्रतिशत की दर से देय होगी।

7. यदि निविदाकर्ता अधोहस्ताक्षरी द्वारा दी गयी समय-सीमा के अंदर सामग्री की आपूर्ति नही कर पाता है तो अधोहस्ताक्षरी उस सामान को बाजार, अन्य किसी ठेकेदार या संस्था से खरीद सकता है। खरीद की राशि में जो अंतर आयेगा उसे निविदाकर्ता की अमानत राशि/पेशगी राशि से जमा किया जायेगा। यदि अंतर राशि अमानत राशि/पेशगी राशि से ज्यादा होती है तो उस राशि को भी निविदाकर्ता को हर परिस्थिति में जमा करना होगा। यह अंतर राशि निविदाकर्ता के अन्य निविदा सामग्री के बिल से काट ली जायेगी। ऐसा न करने पर फर्म को काले सूची में दर्ज किया जायेगा।

8. निविदा स्वीकार होने से पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदाकर्ता को सामग्री के नमूने जमा करना अनिवार्य होगा। भोजन सामग्री के नमूने दो नग प्लास्टिक डिब्वी या थैली में अपनी मुहर व फर्म के नाम की पर्ची के साथ जमा करें। ब्रांडेड सामग्री को छोड़ सभी के नमूने आवश्यक है।

9. निविदाकर्ता व्दारा दी गयी दरें ३० अप्रेल २०१६ तक मान्य होगी यदि इस दौरान दरों में कोई उतार-चढ़ाव होता है तो वह मान्य नहीं होगा, यदि मार्का छाप सामग्री पर कोई भी निःशुल्क उपहार योजना पैकिंग मे होती है तो वह सभी उपहार विद्यालय को प्रदाय करना होगा और बिना अतिरिक्त राशि के निविदाकर्ता को अपने बिल में दर्शाना होगा।

10. निविदा स्वीकार होने पर, सामग्री की आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश से सामग्री का, निविदाकर्ता द्वारा दिये गये नमूने से मिलान किया जायेगा। यदि सामग्री नमूने से मेल खाती है तो सामग्री स्वीकार की जावेगी। अन्यथा उस सामग्री जो कि नमूने के अनुसार नहीं है उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

11. लकड़ी के सामान की आपूर्ति हेतु प्रयुक्त लकड़ी पकी सागौन की होनी चाहिये तथा लकड़ी १० प्रतिशत से अधिक नही सिकुड़नी चाहिये। निविदाकर्ता को उसके द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के ऊपर एक धातु की बनी पट्टिका जिस पर स्वयं का नाम एवं सामान के बनने का वर्ष लिखा हो, लगानी चाहिये।

12. विद्यालय द्वारा निविदाकर्ता की अमानत राशि को आपूर्ति की अंतिम तारीख से अगले ०६ महीने तक रक्षोपाय के रूप में या आपूर्ति की गयी सामग्री की स्थिति या गुणवत्ता में खराबी आने की स्थिति के लिए रखा जायेगा।

13. किसी भी स्थिति में किसी वस्तु की पैकिग या डिब्बे आदि पर दिये हुए विक्रय मूल्य (एम आर पी)से अधिकतम भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. यदि निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तो के आधार पर सामग्री की आपूर्ति नही कर पाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं अगले ०३ वर्षों के लिऐ काला सूची में नाम सम्मिलित किया जायेगा।

15. सामग्री की दरें यदि किलो मे मॉगी गई है तो किलो में, यदि क्विंटल मे मॉगी गई है तो क्विंटल में और यदि **MRP** पर छूट प्रतिशत मॉगी गई है तो छूट प्रतिशत दर्शाऐं। बाद मे कोई सुधार नहीं होगा।

16. टेण्डर फार्म में जो ब्रांड दिये गये है सिर्फ उसी के दर भरे जाये। काटकर अन्य ब्रांड के दर तुलनात्मक चार्ट में शामिल नहीं किये जायेंगे।

17. सामग्री के साथ बिल भी पहूँचाना अनिवार्य है। बिना बिल के सामग्री स्वीकार नही होगी।

18. सामग्री विद्यालय समय प्रातः९ बजे से १२:०० के बीच पहुँचाना होगा।

19. सीलबंद निविदाओं में निम्नलिखित तथ्य/प्रमाण पत्रों का होना आवश्यक हैः-

i. सक्षम अधिकारी व्दारा प्रदत्त वर्तमान आयकर प्रमाण पत्र एवं अन्य कर संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ii. संबंधित फर्म/दुकान का टिन नं० की एक प्रति।

iii. वाणिज्य विभाग से स्थाई पंजीयन प्रमाण-पत्र की एक प्रति।

iv. पेशगी राशि।

v. न्यूनतम दरें ।

vi. विशेष विवरण, छपी हुई सूची से संबंधित विवरण।

vii .अधिक्रत डीलर के लिये वस्तु निर्माता/आपूर्तिकर्ता का प्रमाण पत्र।

viii. निविदा प्रपत्र पर निविदकर्ता के सभी पृष्ठों पर तिथि सहित हस्ताक्षर।

ix. इस प्रपत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार ही दरें भरे अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

x. रू० १००/- का स्टाम्प पेपर जो की निविदाकर्ता के नाम का हो तथा जिस पर दरें स्वीकृत होने पर संविदा की जा सकेगी।

xi.अन्य कोई प्रपत्र जो निविदिकर्ता व निविदा की वस्तु से सम्बन्धित आवश्यक हो।

२०. सामग्री आपूर्ति करने के उपरान्त विद्यालय खाते में सम्बंधित मद में राशि फण्ड होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा ।

अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैंः–

क्रं	सामग्री का नाम	अमानत राशि
1	किराना (मेस) सामग्री,	35 हजार
2	सब्जी एवं फल,	10 हजार
3	दैनिक उपयोगी सामग्री,	5 हजार
4	विद्यार्थी एवं कार्यालय स्टेशनरी	5 हजार
5	गणवेश एवं विस्तर सामग्री	20 हजार
6	गणवेश सिलाई	5 हजार
7	विद्युत सामाग्री	2 हजार
8	खेलकूद मे उपयोग होने वाली सामग्री	1 हजार
9	भवन मरम्मत एवं सुधार हेतु सामग्री	3 हजार
10	कम्प्यूटर सामग्री	2 हजार
11	गणवेश एवं विस्तर धुलाई एवं प्रेस	2 हजार
12	वेकरी सामग्री	5 हजार
13	प्लंबिंग सामग्री	2 हजार
14	पिसाई,	1 हजार
15	विद्यालय उपयोग हेतु किराये का वाहन (तवेरा 9+1) माडल २०१६ के पूर्व का न हो।	10 हजार
16	बाल कटिंग छात्र/छात्राओं की	500 रूपये
17	सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा	1000 हजार

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
बरगी नगर जबलपुर

स्थानः– जवाहर नवोदय विद्यालय
बरगी नगर जबलपुर

टेन्डर खुलने की दिनांक एवं समय के विषय में दिये गये टेलीफोन से संपर्क किया जा सकता है।

0761-2880245